



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022022-233445  
CG-DL-E-15022022-233445

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 15, 2022/माघ 26, 1943

No. 90]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 15, 2022/MAGHA 26, 1943

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी 2022

फा. सं. 12015/05/2021-क्यूए.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 10 की उप-धारा 5 के साथ पठित धारा 45 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4, में दिनांक 02 जुलाई, 2021 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या फाइल सं. 12015/05/2021-क्यूए में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्, -

सारणी में,

1. क्र. सं. 145 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां संबंधित कॉलम में अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

क्र.सं.	खाद्य विशेषक और प्रयोगशाला का नाम
146	श्री सुरेंद्र सिंह राघव राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, नवी मुंबई
147	श्री नागराजन अबिमंनन राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, नवी मुंबई
148	श्री करूणानिधि मेसर्स एबीसी टेक्नो लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई

2. क्र. सं. 1, 10 और 126 से संबंधित पंक्ति मे प्रविष्टियां विलोपित मानी जाएगी।

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./645/2021-22]

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में फाइल सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 02 जुलाई, 2021 द्वारा प्रकाशित हुई थी और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओ द्वारा संशोधित की गई थी-

1. फाइल सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 30 नवम्बर, 2021.

## FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2022

**F. No. 12015/05/2021-QA.**—In exercise of the powers conferred under sub section 5 of section 10 read with section 45 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendments in the notification number F. No. 12015/05/2021-QA published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated 2<sup>nd</sup> July, 2021, namely: -

In the table,

1. After serial No. 145, the following entries shall be inserted in respective columns namely: -

S. No.	Name of the Food Analyst & Laboratory
146	Mr. Surender Singh Raghav National Food Laboratory, Navi Mumbai
147	Mr. Nagarajan Abimannan National Food Laboratory, Navi Mumbai
148	Mr. Karunanidhi M/s. ABC Techno Labs India Private Limited, Chennai

2. At serial number 1,10 and 126 the respective entries of the row shall be omitted.

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./645/2021-22]

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, vide notification number F. No. 12015/05/2021-QA dated 2<sup>nd</sup> July 2021 and subsequently amended vide-

1. F. No. 12015/05/2021-QA, dated 30<sup>th</sup> November 2021.